



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 18 नवम्बर, 1976

कार्तिक 27, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 4873/सत्रह-वि०-1--161-76

लखनऊ, 18 नवम्बर, 1976

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन) विधेयक, 1976 पर दिनांक 16 नवम्बर, 1976 ई० की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन) अधिनियम, 1976

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1976]

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

फण्डामेन्टल रूल 56 का अप्रत संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा संक्षिप्त नाम जायगा।

फण्डामेन्टल रूल  
56 का संशोधन

2—फाइनेशियल हैण्ड बुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में प्रकाशित उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल के समय-समय पर यथासंशोधित नियम 56 (जिसे प्रागे उक्त नियम 56 कहा जायगा) में,—

(i) खण्ड (ग) में, द्वितीय बार आये हुए शब्द "पचास वर्ष" के स्थान पर शब्द "पैंतालिस वर्ष" रख दिये जायेंगे ;

(ii) खण्ड (ङ) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ कोई सरकारी सेवक जो इस नियम के अधीन स्वेच्छया सेवा-निवृत्त होता है या जिसे स्वेच्छया सेवा-निवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाती है, वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी उसे पेंशन और उपदान के, यदि कोई हो, प्रयोजनार्थ, पांच वर्ष की या ऐसी अवधि की, जिसमें वह कार्य किया होता, यदि वह अपनी अधिर्वाचिता की आयु के साधारण दिनांक तक रहता, जो भी कम हो, अतिरिक्त सेवा के लाभ की अनुज्ञा दे सकता है।";

(iii) स्पष्टीकरण (2) के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिये जायेंगे और संदेह से रखे गये समझे जायेंगे, अर्थात्—

"(2) यह समाधान करने के लिए कि क्या किसी सरकारी सेवक से खण्ड (ग) के अधीन सेवा-निवृत्त होने की अपेक्षा करना लोक-हित में होगा या नहीं, नियुक्ति प्राधिकारी सरकारी सेवक से सम्बद्ध किसी सुसंगत बात पर विचार कर सकता है और यहाँ पर दी गयी किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि—

(क) किसी अवधि से संबंधित किसी प्रविष्टि पर, जिसके पूर्व ऐसे सरकारी सेवक को दखता रोक पार करने की अनुज्ञा दी गई थी या जिसके पूर्व स्थानापन्न या मौलिक रूप में या तदर्थ आधार पर उसकी पदोन्नति की गई थी; या

(ख) किसी प्रविष्टि पर, जिसके विरुद्ध कोई अभ्यावेदन विचाराधीन है, इस प्रतिबंध के साथ कि प्रविष्टि के साथ अभ्यावेदन पर भी विचार किया जाय; या

(ग) उत्तर प्रदेश सतकंता अधिष्ठान अधिनियम, 1965 के अधीन गठित सतकंता अधिष्ठान की किसी रिपोर्ट पर, विचार करना अपरिचित है।

(2-क) अर्थक ऐसा निर्णय लोक-हित में लिया गया समझा जायगा।"

संकमणकालीन  
उपबन्ध

3—जहाँ इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व उक्त नियम 56 के खण्ड (ग) के अधीन अनिवार्य सेवा निवृत्ति का कोई आदेश किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा इस आधार पर अविधानान्य निर्णीत कर दिया जाता है कि इस अधिनियम द्वारा यथाप्रतिस्थापित उक्त नियम 56 के स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट किसी बात पर नियुक्ति प्राधिकारी ने विचार किया है, वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो मास के भीतर ऐसे निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन के लिए ऐसे न्यायालय या अधिकरण को आवेदन कर सकता है और ऐसे आवेदन पर न्यायालय या अधिकरण अपने निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन इस अधिनियम के द्वारा यथाप्रतिस्थापित उक्त नियम 56 के स्पष्टीकरण (2) और (2-क) के अनुसार कर सकता है।

No. 4873/XVII-V-1-161-76

Dated Lucknow, November 18, 1976

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Fundamental Rule 56 (Sanshodhan) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 33 of 1976), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 16, 1976:

THE UTTAR PRADESH FUNDAMENTAL RULE 56 (AMENDMENT)  
ACT, 1976

(U. P. Act No. 33 of 1976)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN  
ACT

further to amend the Fundamental Rule 56

It is HEREBY enacted in the Twenty-seventh year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Fundamental Rule 56 (Amendment) Act, 1976.

2. In rule 56 of the Uttar Pradesh Fundamental Rules, published in the Financial Hand Book, Volume II, Parts II to IV, as amended from time to time (hereinafter to be referred to as the said rule 56),—

Amendment of  
F.R. 56.

(i) in clause (c), for the words "fifty years", occurring the second time, the words "forty-five years" shall be substituted;

(ii) in clause (e) the following proviso shall be inserted, namely:—  
"Provided that where a Government servant who voluntarily retires or is allowed voluntarily to retire under this rule the appointing authority may allow him, for the purposes of pension and gratuity, if any, the benefit of additional service of five years or of such period as he would have served if he had continued till the ordinary date of his superannuation, whichever be less;"

(iii) for explanation (2), the following explanations shall be substituted and be deemed to always have been substituted, namely:—

"(2) In order to be satisfied whether it will be in the public interest to require a Government servant to retire under clause (c) the appointing authority may take into consideration any material relating to the Government servant and nothing herein contained shall be construed to exclude from consideration—

(a) any entries relating to any period before such Government servant was allowed to cross any efficiency bar or before he was promoted to any post in an officiating or substantive capacity or on an *ad hoc* basis; or

(b) any entry against which a representation is pending, provided that the representation is also taken into consideration along with the entry; or

(c) any report of the Vigilance Establishment constituted under the Uttar Pradesh Vigilance Establishment Act, 1965.

(2A) Every such decision shall be deemed to have been taken in the public interest."

Transitory  
provision.

3. Where any order of compulsory retirement under clause (c) of the said rule 56 has been adjudicated before the commencement of this Act by any court or tribunal to be invalid on the ground of the appointing authority having taken into consideration any material referred to in explanation (2) to the said rule 56 as substituted by this Act, it shall be open to the appointing authority to apply to such court or tribunal within two months from the commencement of this Act for review of such judgment or order, and the court or tribunal may on such application review its judgment or order in accordance with explanations (2) and (2-A) of the said rule 56 as substituted by this Act.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव ।